

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम सुमरलाल मु.नं. 34/23 गुलबर्दी (दादा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	---

पूर्व में दिनांक 24.1.24 को कालातमा पेश किया हुआ है जो अनाधिक प्रमाणित है। प्रतिवादी स. 01, 03 लगा 05, 7, 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 12-10-23 को ही पुकी है। अतः प्रतिवादी स. 02, 06 से ही कालातमा स्वीकार है। प्रतिवादी स. 02, 06, 10 से विधिवत रूप से लगील हो चुकी है। लगील उपरान्त जमाना समय के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब जवाब दिया पेश नहीं किया गया है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब दिया अवसर बंद किया जाता है। जायली वाले तलकी प्रतिवादी स. 09, 11 दिनांक 10.7.25 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

10.07.25
आभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रा-वली पूर्वानुसार दिनांक 14/8/25 को पेश है।

14.8.25
पत्रावली पेश हुई। कलम पञ्चम को धारा-2 कायम दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट है कि उभय पक्ष पञ्चम पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पञ्चम को अदम हाजरी एवं अदम फौकी में खारिज की जाती है।

पत्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम <u>गुलाब-दी</u> मु.नं. <u>34/23 (दाया)</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हु
---------------	---	--

पत्रावली फैसल शुमाद वेकर प्राविण इफतर हो

**उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)**

[Faint handwritten text, likely a court order or judgment, mostly illegible due to fading and bleed-through.]